







(41)



न्यायालय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल त्रिवालेयर (कम्प उज्जैन) म.प्र.
प्रकरण क्रमांक / 2017/पुनरीक्षण PBR/गिगरानी/उच्चायोग/श्रृंख/2017/3699

क्षेमा पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्रा.लि., पता—
117, शिवांस पेराडाईज्ड आर.डी.गार्डी मेडिकल
कालेज, आगर रोड़ उज्जैन तहसील व जिला—
उज्जैन म.प्र.

..... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन द्वारा उप पंजीयक उज्जैन म.प्र.
पता— उप पंजीयक कार्यालय, भरतपुरी देवास
रोड, उज्जैन म.प्र.

..... अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन

आवेदक की ओर से न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स जिला—
उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्र. 116 /बी—103/2016—17
में पारित आदेश दिनांक 3/03/2017 के विरुद्ध यह पुनरीक्षण
याचिका श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

विशेष :— माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर
द्वारा प्रकरण क्रमांक 9782/2012 में पारित निर्णय दिनांक 17.
07.2012 (2012 आर.एन.321 समदारिया बिल्डर्स(मे.) प्रा.लि.
विरुद्ध जबलुपर विकास प्राधिकरण तथा अन्य) में पारित निर्णय
अनुसार पुनरीक्षण प्रचलन योग्य है।

आमनाथक श्री ज्ञानराज विठ्ठल विठ्ठल
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 04.01.2017

अधीक्षक 04.01.2017
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर

मुमा/कालन

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

द्र क्रमांक पीडीआर/निगरानी/उज्जैन/2017/ 3699

जिला उज्जैन

स्थान दृष्टि दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-2017	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-3-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। यह निगरानी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-3-17 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 4-9-17 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश दिनांक 3-3-17 की प्रति आवेदक को भेजी गई है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा भी दिनांक 14-3-17 को गारंटी आहरण करते हुये राशि जमा करादी गई है। अतः स्पष्ट है कि दिनांक 14-3-17 को आवेदक को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश की जानकारी हो गई थी। अतः यदि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन को मान भी लिया जाये कि बैंक द्वारा गारंटी के आहरण से उसे जानकारी हुई, तब भी यह निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है। अतः प्रथमदृष्ट्या विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से निगरानी अवधि बाह्य मानकर अग्राह्य की जाती है।</p> <p></p> <p>(मनाज गोयल)</p> <p>अध्यक्ष</p>	